अनुचित अदायगियां

क. सारांश

ख. किस पर लागू होती है

ग. नीति

घ. उत्तरदायित्व

ङ. प्रविधियां

च. संदर्भ

छ. समीक्षा

सदाचार संहिता

1 नवंबर 2002 को जारी किया गया
19 जनवरी 2010 को संशोधित किया गया

क. सारांश

यूटीसी व्यवसाय प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से और निष्पक्षता से प्रतिस्पर्धा करेगा, और केवल अपनी पेशकशों के प्रतिस्पर्धात्मक गुणों के आधार पर। हम व्यवसाय प्राप्त करने या उसे अपने पास रखने अथवा कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं देंगे, न ही हमें लाभ पहुंचाने के विचार से किसी के भी द्वारा किसी भी बाजार में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, और वह कहीं भी स्थित हो, रिश्वत दिए जाने को बर्दाश्त करेंगे। हम चाहते हैं कि इस नीति को उसके विस्तृत अर्थ में लिया जाए और उसे दृढ़ता से लागू किया जाए।

ख. किस पर लागू होती है

यह नीति यूटीसी पर लागू होती है, जिसमें उसके सभी अनुषंगी, विभाग और अन्य नियंत्रित व्यावसायिक सत्व ("प्रचालन इकाइयां"), और दुनिया भर में इन सबके सभी कर्मचारी शामिल हैं। यदि संदर्भ से अन्य कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो यूटीसी में उसके सभी प्रचालन इकाइयां और उनके कर्मचारी शामिल हैं।

यूटीसी उचित संविदात्मक अनुबंधों, वारंटियों और प्रतिनिधित्वों द्वारा सुनिश्चित करेगा कि उसके साथ, उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए कार्य करते समय उसके सभी व्यावसायिक साझेदार इस नीति का अनुपालन करेंगे।

रिश्वत के विरुद्ध यह नीती मूल्य की किसी भी चीज पर लागू होती है, जिसमें नकद तथा जमा, छूट, तोहफे या अन्य सभी प्रकार के लाभकारी कार्य शामिल हैं। जिन व्यक्तियों से कृपा की आशा की जा रही है, उनके परिवारजनों या मित्रों को तोहफे देने, इन व्यक्तियों के प्रिय उद्देश्यों या संस्थाओं को धर्मार्थ दान देने या राजनीतिक अंशदान देने पर भी यह नीति लागू होती है।

ग. नीति

1. यूटीसी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सार्वजनिक अधिकारी हो या निजी कंपनी का अधिकारी, उसके उत्तरदायित्वों से संबंधित कोई कार्य करने या न करने के लिए उसे प्रेरित करने के विचार से, ताकि यूटीसी या उसके व्यवसायों को लाभ पहुंचे, या उन्हें अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो, मूल्य की कोई वस्तु नहीं देगा, या देने का वादा करेगा, या देने को अनुमोदित करेगा, या देने की अनदेखी करेगा।

2. यूटीसी की नीति में उम्मीदवारों, पदाधिकारियों या राजनीतिक दलों को वैध अंशदान देने को निषिद्ध नहीं किया गया है, बशर्ते कि प्रचालन इकाई जिस देश में काम कर रही हो, वहां के राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय कानूनों के अनुसार वह असंगत न हो। लेकिन इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्त करने या मिले व्यवसाय को पकड़े रखने या कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को वैध राजनीतिक अंशदान या अदायगियां करने को यह नीति निषिद्ध करती है। यूटीसी की निधियों और संपत्तियों का उपयोग अवैध राजनीतिक अंशदानों के लिए अथवा अन्य अवैध उद्देश्यों के लिए अथवा इस तरह के उपयोगों के लिए, जो इस नीति से असंगत हों, नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रस्तावित राजनीतिक अंशदान की पूर्व-समीक्षा निगमीय नीति मार्गदर्शिका - अनुभाग 5 के दिशा-निर्देशों के अनुसार करना आवश्यक है।

3. प्रचालन इकाई जिस देश में काम कर रही हो, उस देश की राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय कानूनों से संगत धर्मार्थ अंशदान देने को यूटीसी नीति अनुमति देती है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है। लेकिन इसके अलावा, ऐसे वैध धर्मार्थ अंशदान देने को निषिद्ध करती है जिनका उद्देश्य व्यावसाय प्राप्त करना या मिले व्यवसाय को पकड़े रखना या अन्य कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना हो। प्रचालन इकाई द्वारा दिए जानेवाले सभी धर्मार्थ अंशदानों की पूर्व-समीक्षा निगमीय नीति मार्गदर्शिका - अनुभाग 11 के दिशा-निर्देशों के अनुसार करना आवश्यक है।

4. अमरीका के सरकारी अधिकारियों को छोड़कर, जो विशेष नियमों के अधीन आते हैं, यूटीसी के उत्पादों या सेवाओं को प्रोत्साहित करने, निदर्शित करने, समझाने या प्रमाणीकृत करने से संबंधित वैध खर्चों को, अथवा अनुबंध तैयार करने या उसे लागू करने से जुड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष खर्चों को वापस किया जा सकता है। लेकिन वापस किए गए खर्चों में यातायात, भोजन, आवास और व्यावसायिक मेहमानों के लिए छोटे-मोटे मनोरंजन से संबंधित युक्तियुक्त खर्च ही शामिल हो सकते हैं। वैध व्यवसाय पूरा करने के लिए जो पारिवारिक सदस्य या अन्य पक्ष आवश्यक नहीं हैं, उनका खर्च नहीं लौटाया जाएगा। लौटाया जानेवाला पैसा संबंधित व्यक्ति के नियोक्ता को ही दिया जाएगा और कभी भी उस व्यक्ति को नहीं, और यह केवल ब्योरेवार इन्वाइस के आधार पर और स्पष्ट अनुबंधीय दायित्वों के अनुसार या उचित लिखित करार के अनुसार ही दिया जाएगा। सभी लौटाए गए खर्चों को सटीक रूप से और ढंग से रिकोर्ड करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के खर्चों को लौटाना उचित है, लौटाने से पहले व्यावसायिक आचरण अधिकारी और संबंधित प्रचालन इकाई के सलाहकार से सलाह-मशविरा कर लें।

5. अमरीका के सरकारी अधिकारियों को छोड़कर, जिन पर विशेष नियम लागू होते हैं, आम तौर

पर परंपरागत रूप से दिए जानेवाले व्यावसायिक तोहफों की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि उनका मूल्य और देने की बारंबारता युक्ति-संगत हो। लेकिन यदि तोहफा देने के पीछे इरादा कृपापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा हो अथवा प्राप्ती अथवा उसके नियोक्ता की नीतियों के अनुसार वह निषिद्ध हो, तो तोहफा देने की अनुमति कभी भी नहीं दी जाएगी। व्यावसायिक तोहफों को यूटीसी की आचरण संहिता के पूरक अंश "व्यावसायिक तोहफे देना और लेना" में बताए गए मानकों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

6. गैर-कर्मचारी बिक्री प्रतिनिधि की सेवाएं निगमीय नीति मार्गदर्शिका – अनुभाग 48क के अनुसार लिखित करार कर लेने के बाद ही प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी कोई भी अदायगियां नहीं की जाएंगी जो लिखित और अनुमोदित करार के अनुरूप नहीं हों।

7. संयुक्त उद्यमों (जिनमें सभी इक्विटी-आधारित या अनुबंधीय संयुक्त उद्यम और टीम के रूप में काम करने से संबंधित अनुबंध शामिल हैं) के साझेदारों, डीलरों, वितरकों, मूल्य-वृद्धि करके बेचनेवालों, उपठेकेदारों या अन्य व्यावसायिक साझेदारों, जिनकी गतिविधियां यूटीसी के उत्पादों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिक्री में मदद करती हैं या बिक्री को बढ़वा देती हैं, उनके साथ नए संबंधों को परिभाषित करनेवाले अनुबंध करते समय या पुराने अनुबंधों को नवीकृत करते समय इन अनुबंधों में ऐसी उचित वारंटियां और प्रतिनिधित्व रखे जाएंगे कि यूटीसी के प्रतिपक्ष ने इस नीती को तथा उसमें उल्लिखित यूटीसी मानकों को पढ़ और समझ लिया है; कि वह इससे सहमत है कि संयुक्त उद्यम की सभी गतिविधियां इस नीति का पूर्णतः पालन करेंगी; और यह कि यूटीसी के साथ, उसकी ओर से या उसके लाभ के लिए जो भी गतिविधियां प्रतिपक्ष करेगा, वे सब इस नीति का अनुपालन करेंगी, इसकी प्रतिपक्ष वारंटी देता है और इसका वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रचालन इकाइयां ऐसे वर्तमान संयुक्त उद्यम या इससे मिलते-जुलते संबंध जो नवीकृत नहीं होंगे, की समीक्षा करेंगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी कि इन संबंधों को परिभाषित करनेवाले अनुबंध ठीक समय पर संशोधित किए जाते हैं और उनमें इन मानकों को शामिल किया जाता है। उन संयुक्त उद्यमों में जिनमें यूटीसी के पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं हैं, इन मानकों को शामिल करना आसान बनाने के लिए, यह पर्याप्त है कि उस उद्यम के निदेशकों का बोर्ड वार्षिक तौर पर इस नीति तथा इससे संबंधित मानकों के सार-तत्व को संयुक्त उद्यम की नीति के रूप में अपना लें।

8. यूटीसी अपने विपणन प्रयासों में मदद करने के लिए ऐसे किसी को नियुक्त नहीं करेगा जिनकी नियुक्ति से हितों के ऐसे टकराव पैद हो सकते हों जिन्हें खुलासे और अधित्याग, अस्वीकरण या सभी लागू कानूनों और यूटीसी की आचार संहिता से सुसंगत अन्य जरियों से निपटाया न जा सके।

9. यूटीसी किसी भी उद्देश्य के लिए गोपनीय या अलिखित निधि या संपत्ति स्थापित नहीं करेगा।

10. यूटीसी की पोथियों और अभिलेखों में गलत या कृत्रिम प्रविष्टियां किसी भी कारण से नहीं जोड़ी जाएंगी। यूटीसी की ओर से ऐसी कोई अदायगियां अनुमोदित नहीं की जाएंगी या चुकाई जाएंगी जिनका उद्देश्य या जिनसे अपेक्षा यह हो कि इन अदायगियों का कुछ हिस्सा ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए, जो दस्तावेजों, पोथियों और अभिलेखों में वर्णित उद्देश्यों से भिन्न हों।

घ. उत्तरदायित्व

1. इस नीति से उपजनेवाले मामलों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी यूटीसी का वरिष्ठ उपाध्याक्ष और सामान्य सलाहकार होगा।

2. प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक ऐसा अंदरूनी नियंत्रण कार्यक्रम स्थापित करेगा और उसे सुचारु रूप से चलाएगा, जो सभी प्रचालन इकाइयों द्वारा इस नीति के और उसे लागू करने से संबंधित सभी नितियों और प्रविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो।

3. यूटीसी के आंतरिक लेखा-परीक्षण के निदेशक अनुचित अदायगियों के अनुपालन का सामयिक लेखा-परीक्षण करेगा या लेखा-परीक्षण की व्यवस्था करेगा, जिससे कि इसका पर्याप्त आश्वासन मिल सके कि प्रचालन इकाई के आंतरिक नियंत्रण कार्यक्रम पर्याप्त हैं।

ङ. प्रविधियां

परिशिष्ट क देखें। इस नीति को तथा अनुचित अदायगियों और व्यावसायिक भ्रष्टाचार से संबंधित अमरीका के कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय या गैर-अमरीकी राष्ट्रीय या स्थानीय कानूनों को पोषित करने तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यूटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सामान्य सलाहकार को यह अधिकार है कि वह परिशिष्ट क की सिफारिश करे और उसे संशोधित करे।

च. संदर्भ

- अनुभाग 5 – सरकार से संबंध

- अनुभाग 7 – हितों का टकराव
- अनुभाग 11 - धर्मार्थ और परोपकारी अंशदान
- अनुभाग 17 – पारमर्श और अन्य पेशेवरीय सेवाओं के लिए अनुबंध
- अनुभाग 34 – अनुपालन कार्यक्रम
- अनुभाग 44 - औद्योगिक सहयोग और आर्थिक ऑफसेट
- अनुभाग 48क – गैर-कर्मचारी बिक्री प्रतिनिधि

छ. समीक्षा

यूटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समान्य सलाहकार वर्ष में दो बार इस नीति की समीक्षा करेगा। (अंतिम समीक्षा – दिसंबर 2009)

परिशिष्ट क

क. भूमिका

सार्वजनिक और निजी बाजारों को रिश्वत देकर और ऐसे ही भ्रष्ट आचरणों से प्रभावित करने को अनेक अमरीकी, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी कानूनों द्वारा निषिद्ध किया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा उसके सबसे बड़े व्यापार सहयोगियों ने एक बहुपक्षीय संधि (ओईसीडी संधि) की है जिसके तहत प्रत्येक देश को सार्वजनिक बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों में रिश्वत देने को निषिद्ध करनेवाले कानून पारित करने हैं और लेखाविधियों से संबंधित ऐसे प्रोटोकोल बनाने हैं जो भ्रष्ट गतिविधियों का पता लगाना आसान बनाएं। संयुक्त राज्य अमरीका में इस संधि को मूल रूप से 1977 में अधिनियमित किए गए विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) द्वारा लागू किया जाता है। इसी तरह के कानून अमरीका के सभी बड़े व्यापार सहयोगियों ने भी पारित किए हैं, और लगभग सभी देशों में किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को निजी अदायगियां करने को निषिद्ध किया गया है, यहां तक कि उन अदायगियों को भी जो नेमी कार्रवाइयों या मंत्री स्तर की कार्रवाइयों को तेज करने के लिए दी जाती हैं, जिन्हें अक्सर “काम को सरल बनाने के लिए अदायगियां” कहा जाता है। कई देशों में, ऐसे सार्वजनिक कानून भी हैं जो निजी बाजारों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करते हैं, और कई देशों में पीड़ित प्रतिस्पर्धियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा के बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निजी अधिकार भी प्राप्त है।

यद्यपि व्यावसायिक भ्रष्टाचार के लिए जो कानूनी प्रावधान उपलब्ध है, वह अब भी अपर्याप्त ही है, फिर भी सार्वजनिक और नीजी दोनों प्रकार के बाजारों में भ्रष्ट अदायगियों को निषिद्ध करने की ओर रुझान काफी स्पष्ट है। कहना न होगा कि यह रुझान सभी के लिए हितकारी है। जब बाजारों में ईमानदार प्रतिस्पर्धा की मांग उठेगी जो समय पर उच्च गुणवत्तावाले, सर्वोत्तम रीति से काम करनेवाले उत्पाद और सेवाएं वाजिब दाम पर उपलब्ध कराने पर आधारित होगी, जो ग्राहक की दृष्टि से समग्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, तब कार्यदक्षता बढ़ेगी और नवोन्मेष के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। भ्रष्टाचार कार्यदक्षता और नवोन्मेष दोनों को ही कुंद करता है।

इन कारणों से, यूटीसी ने एक-समान विश्वव्यापी नीति अपनाई है जो वर्तमान कानूनी प्रावधान से अधिक विस्तृत और अधिक सरल है, और जो निश्चय ही सभी जगहों के बाजारों के हित में है। हम किसी को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के विचार से रिश्वत नहीं देते हैं।

किसी अदायगी को भ्रष्ट और इसलिए अनुचित माने जाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सीधे निर्णय-कर्ता द्वारा प्राप्त किया जाए। इसी तरह हमारी नीति मात्र यूटीसी के कर्मचारियों तक सीमित भी नहीं है। यदि कोई अन्य पक्ष, जैसे कोई बिक्री प्रतिनिधि, वितरक या संयुक्त उद्यम का साझेदार भ्रष्ट अदायगी करता है, तो यूटीसी पर भी कानूनी जवाबदेही आती है, और इसीलिए हमारी यह नीति उन सब पर लागू होती है। यूटीसी के व्यवसाय से संबंधित इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों को यथाशक्ति रोकने के लिए व्यावसायिक साझेदारों (जिनमें ये सब और अन्य भी शामिल हैं: संयुक्त उद्यम साझेदार, उपठेकेदार, वितरक, और बिक्री प्रतिनिधि) के चयन में उचित सावधानी, अनुबंधीय निषेध और निरंतर लेखापरीक्षण और सूझबूझ आवश्यक हैं।

ख. वार्षिक प्रतिनिधित्व पत्र

हर वर्ष यूटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सामान्य सलाहकर यूटीसी की हर व्यावसायिक इकाई, अनुषंगी कंपनी या अन्य नियंत्रित सत्व के निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति से एक लिखित प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगा कि उसने इस नीति को पढ़ा और समझा है और (क) उसकी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार कोई रिश्वत नहीं दी गई हैं या कोई अन्य उल्लंघन नहीं हुए हैं, या (ख) उसे ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है जिन्हें इस नीति का उल्लंघन माना जा सकता है:

1. वे सभी कर्मचारी जिनके लिए निगमीय नीति मार्गदर्शिका – अनुभाग 7 के प्रदर्श 1 के पैरा सी.2 में बताए गए निबंधनों के अनुसार हर वर्ष हितों का टकराव सर्वेक्षण निष्पादित करना आवश्यक है; और

2. यूटीसी तथा उसके परिचालक इकाइयों के अन्य सभी निर्वाचित या नियुक्त किए गए निदेशक और अधिकारी जिनके लिए वार्षिक हितों का टकराव सर्वेक्षण निष्पादित करना आवश्यक नहीं है (इनमें संयुक्त उद्यमों के गैर-कर्मचारी अल्पमत निदेशक भी शामिल हैं)।

जिन निदेशकों और कर्मचारियों को पद से हटाने का अधिकार यूटीसी के पास सुरक्षित है, उनके लिए इस तरह प्रमाणित करना नियोजन की एक आवश्यक शर्त है। प्रमाणित करने से इन्कार करने पर छानबीन की जाएगी ताकि इसका पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके कि इस इन्कार के पीछे किसी अनुचित अदायगी की जानकारी तो नहीं है। परिचालक इकाई के तत्संबंधी सलाहकार को इस तरह के छानबीनों की प्रकृति एवं विस्तार का अभिलेख रखना होगा।

प्रतिनिधित्व के दायरे में में उस सत्व का संपूर्ण वित्तीय वर्ष आएगा और उसे कैलेंडर वर्ष के अंत में देना होगा। उसे इलेक्ट्रोनी तरीके से अथवा अन्य माध्यमों से इतना समय देते हुए उपलब्ध

कराया जाएगा कि वह यूटीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सामान्य सलाहकार द्वारा कैलेंडर वर्ष के समाप्त होने के नब्बे दिनों के अंदर प्राप्त कर लिया जाए। प्रतिनिधित्व पत्र की हस्ताक्षरित प्रतियों को अथवा उसके इलेक्ट्रोनी प्रतिरूपों को संबंधित सत्व द्वारा सुरक्षित रूप से रखा जाएगा और यूटीसी के स्वतंत्र सार्वजनिक लेखा-परीक्षकों और/या यूटीसी के आंतरिक लेखापरीक्षण द्वारा मांगे जाने पर सत्व उन्हें ये प्रतियां या प्रतिरूप दिखाएगा।

यूटीसी-बहुमत द्वारा नियंत्रित संयुक्त उद्यमों के गैर-कर्मचारी अल्पमत निदेशकों के इस प्रक्रिया में भाग लेने को सरल बनाने के लिए, ऐसी व्यवस्था है कि इन उद्यमों के निदेशकों के बोर्ड द्वारा हर वर्ष प्रस्ताव पारित करके अपने उद्यम के लिए इस नीति को अपना लेना काफी होगा, जिससे इसकी भी पुष्टि होती है कि प्रत्येक निदेशक को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि विचाराधीन अवधि में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं; बशर्ते कि सभी निदेशक हर वर्ष इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें और उस पर हस्ताक्षर करें।

प्रत्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन सभी मामलों को रिपोर्ट करें जो पहले अभिलिखित नहीं हुए हैं और जो औपचारिक रूप से व्यावसायिक आचरण संगठन या यूटीसी की प्रचालक इकाई के विधि विभाग को नहीं बताए गए हैं। यह संबंधित व्यावसायिक आचरण अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह, प्रचालक इकाई के सलाहकार के साथ काम करते हुए, ऐसे प्रत्येक प्रत्यर्थी से, जिसे लगता हो कि उसे ऐसे किसी मामले की जानकारी है जो इस नीति का उल्लंघन हो सकता है, संपर्क करे, तथा उसे आश्वासन दे कि इस मामले की उचित समीक्षा, छानबीन और समाधान किया जाएगा।